रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33002/99 REGD. No. D. L.-33002/99

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

दिल्ली राजपत्र
Delhi Gazette

सत्यमेव जयते

एस.जी.-डी.एल.-अ.-16122023-250713
SG-DL-E-16122023-250713

असाधारण
EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 365]	दिल्ली, शुक्रवार, दिसम्बर 15, 2023/अग्रहायण 24, 1945	[रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 335
No. 365]	DELHI, FRIDAY, DECEMBER 15, 2023/AGRAHAYANA 24, 1945	[N. C. T. D. No. 335

भाग IV
PART IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

दिल्ली विधान सभा सचिवालय

अधिसूचना

दिल्ली, 15 दिसम्बर, 2023

फा. सं. 21/24/DGST(2nd A)/2023/LAS-VII/Leg./6707.—निम्नलिखित को सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है:—

दिल्ली माल एवं सेवा कर (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2023

[2023 का विधेयक संख्या 05]

(जैसाकि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधान सभा में दिनांक 15 दिसम्बर, 2023 को पुरःस्थापित किया गया)

(विधान सभा में यथा प्रस्तुत)

दिल्ली माल एवं सेवा कर अधिनियम 2017 (2017 का 3) में आगे संशोधन करने के लिए

एक

विधेयक

भारत गणराज्य के चौहत्तरवें वर्ष में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधानसभा द्वारा इसे निम्नानुसार अधिनियमित किया जाए:–

1. **संक्षिप्त शीर्षक और प्रारंभ** :– (i) इस अधिनियम को दिल्ली माल एवं सेवा (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2023 कहा जा सकता है।

(ii) अधिनियम की धारा 2 से 24 उस तिथि को लागू होगी जिसे राज्य सरकार, आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियुक्त कर सकती है और इस अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों के लिए अलग–अलग तारीख नियुक्त की जा सकती है।

2. **धारा 10 का संशोधन** :– दिल्ली माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 (इसके पश्चात् दिल्ली माल एवं सेवा कर अधिनियम के रूप में संदर्भित) की धारा 10 में, –

(क) उप–धारा (2) में, खंड (घ) में, शब्द "माल या" हटा दिया जाएगा;

(ख) उप–धारा (2क) में, खंड (ग) में, शब्द "माल या" हटा दिया जाएगा।

3. **धारा 16 का संशोधन** :– दिल्ली माल एवं सेवा कर अधिनियम की धारा 16 की उपधारा (2) में –

(i) द्वितीय परंतुक में, "उसकी आउटपुट कर देनदारी में ब्याज सहित जोड़ा गया" शब्दों के स्थान पर, "धारा 50 के अन्तर्गत देय ब्याज सहित उसके द्वारा भुगतान किया गया" शब्द और अंक प्रतिस्थापित किए जाएंगे;

(ii) तृतीय परंतुक में, "उसके द्वारा बनाया गया" शब्दों के बाद, "आपूर्तिकर्ता को" शब्द सन्निविष्ट किए जाएंगे।

4. **धारा 17 का संशोधन** :– दिल्ली माल एवं सेवा कर अधिनियम की धारा 17 में –

(क) उप–धारा (3) में, स्पष्टीकरण में, "उक्त अनुसूची के अनुच्छेद 5 में विनिर्दिष्ट शब्दों को छोड़कर" शब्दों और अंकों के स्थान पर, निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्: –

"सिवाय ,–

(i) उक्त अनुसूची के अनुच्छेद 5 में विनिर्दिष्ट गतिविधियों या लेनदेन का मूल्य ; और

(ii) ऐसी गतिविधियों या लेनदेन का मूल्य, जिनके संबंध में निर्धारित किया जा सकता हैउक्त अनुसूची के अनुच्छेद 8 का खंड (क)";

(ख) उप–धारा (5) में, खंड (च) के बाद, निम्नलिखित खंड सन्निविष्ट किये जायेंगे, अर्थात्: –

"(एफए) किसी कर योग्य व्यक्ति द्वारा प्राप्त माल या सेवाएं या दोनों, जिनका उपयोग कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 में संदर्भित कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी के अन्तर्गत उसके दायित्वों से संबंधित गतिविधियों के लिए किया जाता है या उपयोग करने का वांछा रखते हैं।''

5. **धारा 23 का संशोधन**:– दिल्ली माल एवं सेवा कर अधिनियम की धारा 23 में उपधारा (2) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा प्रतिस्थापित की जायेगी तथा यह 01जुलाई, 2017 से प्रभावी मानी जायेगी, अर्थात्:–

"(2) धारा 22 या धारा 24 की उप–धारा (1) में निहित किसी भी प्रतिकूल बात के बावजूद सरकार परिषद की सिफारिशों पर अधिसूचना द्वारा, ऐसी शर्तों और प्रतिबंधों के अधीन हो सकती है जो उसमें निर्दिष्ट किए जा सकते हैं, उन व्यक्तियों की श्रेणी निर्दिष्ट करें जिन्हें इस अधिनियम के तहत पंजीकरण प्राप्त करने की छूट दी जा सकती है।"

6. **धारा 30 का संशोधन**:– दिल्ली माल एवं सेवा कर अधिनियम में धारा 30 की उपधारा (1) में:–

(क) शब्दों "रद्दीकरण आदेश की सेवा की तारीख से तीस दिनों के भीतर निर्धारित तरीके से:",के लिए शब्द "ऐसे तरीके से, ऐसे समय के भीतर और ऐसी शर्तों और प्रतिबंधों के अधीन, जैसा कि निर्धारित किया जा सकता है" प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(ख) परन्तुक को हटा दिया जाएगा।

7. **धारा 37 का संशोधन**:– दिल्ली माल एवं सेवा कर अधिनियम की धारा 37 में उपधारा (4) के बाद निम्नलिखित उपधारा को सन्निविष्ट किया जाएगा, अर्थात्:–

"(5) एक पंजीकृत व्यक्ति को उक्त विवरण प्रस्तुत करने की नियत तारीख से तीन साल की अवधि की समाप्ति के बाद कर अवधि के लिए उप–धारा (1) के तहत बाहरी आपूर्ति का विवरण प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं दी जाएगी:

बशर्ते कि सरकार, परिषद की सिफारिशों पर, अधिसूचना द्वारा ऐसी शर्तों और प्रतिबंधों के अधीन, जो उसमें निर्दिष्ट किए जा सकते हैं, एक पंजीकृत व्यक्ति या पंजीकृत व्यक्तियों के एक वर्ग को उक्त विवरण प्रस्तुत करने की नियत तारीख से

तीन वर्ष की उक्त अवधि की समाप्ति के बाद भी उप–धारा (1) के अन्तर्गतकर अवधि के लिए बाहरी आपूर्ति का विवरण प्रस्तुत करने की अनुमति दे सकती है।"

8. धारा 39 का संशोधनः– दिल्ली माल एवं सेवा कर अधिनियम की धारा 39 में उपधारा (10) के बाद निम्नलिखित उपधारा को सन्निविष्ट किया जाएगा, अर्थात्:––

"(11) एक पंजीकृत व्यक्ति को उक्त रिटर्न प्रस्तुत करने की नियत तारीख से तीन साल की अवधि की समाप्ति के बाद कर अवधि के लिए रिटर्न प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं दी जाएगीः–

बशर्ते कि सरकार परिषद की सिफारिशों पर अधिसूचना द्वारा ऐसी शर्तों और प्रतिबंधों के अधीन जो उसमें निर्दिष्ट किए जा सकते हैं, एक पंजीकृत व्यक्ति या पंजीकृत व्यक्तियों के एक वर्ग को उक्त रिटर्न प्रस्तुत करने की नियत तिथि से तीन वर्ष की उक्त अवधि की समाप्ति के बाद भी कर अवधि के लिए रिटर्न प्रस्तुत करने की अनुमति दे सकती है।''

9. धारा 44 का संशोधनः– दिल्ली वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम में, धारा 44 को उसकी उपधारा (1) के रूप में पुनः क्रमांकित किया जाएगा और उपधारा (1) के रूप में पुनः क्रमांकित करने के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा को सन्निविष्ट किया जाएगा, अर्थात्:–

"(2) एक पंजीकृत व्यक्ति को उक्त वार्षिक रिटर्न प्रस्तुत करने की नियत तारीख से तीन साल की अवधि की समाप्ति के बाद एक वित्तीय वर्ष के लिए उप–धारा (1) के तहत वार्षिक रिटर्न प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं दी जाएगीः

बशर्ते कि सरकार, परिषद की सिफारिशों पर अधिसूचना द्वारा और ऐसी शर्तों और प्रतिबंधों के अधीन, जो उसमें निर्दिष्ट किए जा सकते हैं, एक पंजीकृत व्यक्ति या पंजीकृत व्यक्तियों के एक वर्ग को उक्त वार्षिक रिटर्न प्रस्तुत करने की नियत तिथि से तीन वर्ष की उक्त अवधि की समाप्ति के बाद भी उपधारा (1)के तहत एक वित्तीय वर्ष के लिए वार्षिक रिटर्न प्रस्तुत करने की अनुमति दे सकती है।

10. धारा 52 का संशोधनः – दिल्ली माल एवं सेवा कर अधिनियम की धारा 52 में उपधारा (14) के बाद निम्नलिखित उपधारा को सन्निविष्ट किया जाएगा, अर्थात्:–

"(15) ऑपरेटर को उक्त विवरण प्रस्तुत करने की नियत तारीख से तीन वर्ष की अवधि की समाप्ति के बाद उप–धारा (4) के अन्तर्गत विवरण प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं दी जाएगीः–

बशर्ते कि सरकार, परिषद की सिफारिशों पर, अधिसूचना द्वारा, ऐसी शर्तों और प्रतिबंधों के अधीन, जो उसमें निर्दिष्ट किए जा सकते हैं, एक ऑपरेटर या ऑपरेटरों के एक वर्ग को उक्त विवरण प्रस्तुत करने की नियत तिथि से तीन वर्ष की उक्त अवधि की समाप्ति के बाद भी उप–धारा (4) के तहत एक विवरण प्रस्तुत करने की अनुमति दे सकती है।''

11. धारा 54 का संशोधनः– दिल्ली वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम की धारा 54 की उपधारा (6) में शब्द "अनंतिम रूप से स्वीकृत इनपुट टैक्स क्रेडिट की राशि को छोड़कर" हटा दिये जायेंगे।

12. धारा 56 का संशोधनः– दिल्ली माल एवं सेवा कर अधिनियम की धारा 56 में "उक्त उपधारा के अंतर्गत आवेदन प्राप्त होने की तिथि से साठ दिन की समाप्ति के तुरंत बाद की तिथि से ऐसे कर वापसी की तिथि तक" शब्दों के स्थान पर "ऐसे आवेदन की प्राप्ति की तारीख से साठ दिनों से अधिक की देरी की अवधि से लेकर ऐसे कर की वापसी की तिथि तक, जिसकी इस तरह से गणना की जाएगी और ऐसी शर्तों और प्रतिबंधों के अधीन जिसे निर्धारित किया जा सकता है" प्रतिस्थापित किया जाएगा।

13. धारा 62 का संशोधनः– दिल्ली माल एवं सेवा कर अधिनियम की धारा 62 की उपधारा (2) में–

(क) शब्द "तीस दिन" के स्थान पर शब्द "साठ दिन" प्रतिस्थापित किये जाएंगे;

(ख) निम्नलिखित परंतुक को सन्निविष्ट किया जाएगा, अर्थात्: –

"बशर्ते कि जहां पंजीकृत व्यक्ति उप–धारा (1) के तहत आकलन आदेश की सेवा के साठ दिनों के भीतर वैध रिटर्न प्रस्तुत करने में विफल रहता है, तो वह उक्त आकलन आदेश की सेवा के साठ दिनों से अधिक की देरी के प्रत्येक दिन के लिए एक सौ रुपये का अतिरिक्त विलंब शुल्क के भुगतान पर साठ दिनों की अतिरिक्त अवधि के भीतर इसे प्रस्तुत कर सकता है तथा ऐसी विस्तारित अवधि के भीतर वैध रिटर्न प्रस्तुत करने की स्थिति में उक्त आकलन आदेश को वापस ले लिया गया माना जाएगा, लेकिन ब्याज का भुगतान करने का दायित्व धारा 50 की उपधारा (1) के तहत या धारा 47 के तहत विलंब शुल्क का भुगतान करना जारी रहेगा।''

14. धारा 109 का संशोधनः– दिल्ली माल एवं सेवा कर अधिनियम की धारा 109 में उपधारा (1) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा प्रतिस्थापित की जायेगी :–

(1) इस अध्याय के उपबंधों के अधीन रहते हुए, केन्द्रीय माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 के अधीन गठित माल एवं सेवा कर अधिकरण इस अधिनियम के अंतर्गत अपीलीय प्राधिकारी या पुनरीक्षण प्राधिकारी द्वारा पारित आदेशों के विरुद्ध अपीलीय सुनवाई के लिए अपीलीय अधिकरण होगा।

15. धारा 110 का संशोधनः– दिल्ली माल एवं सेवा कर अधिनियम में धारा 110 को हटाया जायेगा।

16. धारा 114 का संशोधनः– दिल्ली माल एवं सेवा कर अधिनियम में धारा 114 को हटाया जायेगा।

17. धारा 117 का संशोधनः– दिल्ली माल एवं सेवा कर अधिनियम की धारा 117 में–

(क) उपधारा (1) में, शब्द "राज्य न्यायपीठया क्षेत्रन्यायपीठों" के स्थान पर, शब्द "राज्य न्यायपीठ" प्रतिस्थापित किये जाएंगे;

(ख) उपधारा (5) में, खंड (क) और (ख) में, शब्द "राज्य न्यायपीठ या क्षेत्र न्यायपीठों" के स्थान पर, शब्द"राज्य न्यायपीठ" प्रतिस्थापित किये जाएंगे ।

18. धारा 118 का संशोधनः– दिल्ली माल एवं सेवा कर अधिनियम की धारा 118 की उपधारा (1) के खण्ड (क) में–

"राष्ट्रीय न्यायपीठ या क्षेत्रीय न्यायपीठों" को "प्रधान न्यायपीठ" से प्रतिस्थापित किया जाएगा।

19. धारा 119 का संशोधनः– दिल्ली माल एवं सेवा कर अधिनियम की धारा 119 में,–

"राष्ट्रीय या क्षेत्रीय न्यायपीठों" को "प्रधान न्यायपीठ" से और "राज्य न्यायपीठ या क्षेत्रीय न्यायपीठों" को "राज्य न्यायपीठ" से प्रतिस्थापित किया जाएगा।

20. धारा 122 का संशोधनः– दिल्ली माल एवं सेवा कर अधिनियम की धारा 122 में उपधारा (1ए) के बाद निम्नलिखित उपधारा को सन्निविष्ट किया जाएगा, अर्थात्:–

"(1बी) कोई भी इलेक्ट्रॉनिक वाणिज्य ऑपरेटर जो–

(i) ऐसी आपूर्ति करने के लिए इस अधिनियम के तहत जारी अधिसूचना द्वारा पंजीकरण से छूट प्राप्त व्यक्ति के अलावा किसी अपंजीकृत व्यक्ति द्वारा इसके माध्यम से मालों या सेवाओं या दोनों की आपूर्ति की अनुमति देता है;

(ii) किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा इसके माध्यम से मालों या सेवाओं या दोनों की अंतर–राज्य आपूर्ति की अनुमति देता है जो ऐसी अंतर–राज्य आपूर्ति करने के लिए पात्र नहीं है; या

(iii) इस अधिनियम के तहत पंजीकरण प्राप्त करने से छूट प्राप्त व्यक्ति द्वारा इसके माध्यम से प्रभावित किसी भी बाहरी माल की आपूर्ति को धारा 52 की उप–धारा (4) के तहत प्रस्तुत किए जाने वाले विवरण में सही ब्यौरे प्रस्तुत करने में विफल रहता है, तो

उसे दस हजार रुपये का जुर्माना या इसमें शामिल कर की राशि के बराबर राशि का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा, यदि ऐसी आपूर्ति धारा 10 के अन्तर्गत कर का भुगतान करने वाले व्यक्ति के अलावा किसी पंजीकृत व्यक्ति द्वारा की गई थी, इनमें से जो भी अधिक हो।

21. धारा 132 का संशोधनः– दिल्ली माल एवं सेवा कर अधिनियम की धारा 132 की उपधारा (1) में–

(क) खंड (छ), (ञ) और (ट) हटा दिए जाएंगे;

(ख) खंड (l) में, शब्द, कोष्ठक और अक्षर "खंड (क) से (ट)" के लिए, शब्द, कोष्ठक और अक्षर "खंड (क) से (च) और खंड (ज) और (झ)" प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(ग) खंड (iii) में, शब्द "किसी अन्य अपराध" के स्थान पर, शब्द "खंड (ख) में विनिर्दिष्ट अपराध", के कोष्ठक और अक्षर से प्रतिस्थापित किये जाएंगे;

(घ) खंड (iv) में, शब्द, कोष्ठक और अक्षर "या खंड (छ) या खंड (ञ)" का विलोप किया जाएगा।

22. धारा 138 का संशोधनः– दिल्ली माल एवं सेवा कर अधिनियम की धारा 138 में –

(क) उप–धारा (1) में, प्रथम परंतुक में, –

(i) खंड (क) के लिए,निम्नलिखित खंड प्रतिस्थापित किये जाएंगे, अर्थात्: –

''(क) धारा 132 की उप–धारा (1) के खंड (क) से (च), (ज), (झ) और (l)में विनिर्दिष्ट किसी भी अपराध के संबंध में एक बार समझौता करने की अनुमति दी गई है'';"

(ii) खंड (ख) हटा दिया जाएगा;

(iii) खंड (ग) के लिए, निम्नलिखित खंड प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्: –

"(ग) एक व्यक्ति जिस पर धारा 132 की उपधारा (1) के खंड (ख) के तहत अपराध करने का आरोप लगाया गया है;";

(iv) खंड (ङ) हटा दिया जाएगा;

(ख) उप–धारा (2) में, शब्द "दस हजार रुपये या इसमें शामिल कर का पचास प्रतिशत, इनमें से जो भी अधिक हो, और अधिकतम राशि तीस हजार रुपये या कर की एक सौ पचास प्रतिशत से कम नहीं होगी, इनमें से जो भी अधिक हो", के स्थान पर शब्द" शामिल कर का पच्चीस प्रतिशत और अधिकतम राशि शामिल कर के सौ प्रतिशत से अधिक नहीं होगी" प्रतिस्थापित किया जाएगा।

23. धारा 158 का संशोधनः– दिल्ली माल एवं सेवा कर अधिनियम की धारा 158 में निम्नलिखित धारा को सन्निविष्ट किया जायेगा, अर्थात्:–

"158ए (1) धारा 133, 152 और 158 में निहित किसी भी बात के बावजूद, एक पंजीकृत व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत निम्नलिखित विवरण, उप–धारा (2) के प्रावधानों के अधीन और परिषद की सिफारिशों पर, सरकार द्वारा यथा अधिसूचित ऐसी रीति से और ऐसी शर्तें जो निर्धारित की जा सकती हैं, ऐसी अन्य प्रणालियों के साथ सामान्य पोर्टल द्वारा सांझा किया जा सकता है, अर्थात्:–

(क) धारा 25 के तहत पंजीकरण के लिए आवेदन मेंया धारा 39या धारा 44 के तहत दायर रिटर्न में प्रस्तुत किये गये विवरण;

(ख) इन्वॉइस तैयार करने के लिए सामान्य पोर्टल पर अपलोड किए गए विवरण, धारा 37 के तहत प्रस्तुत बाहरी आपूर्ति का विवरण और धारा 68 के तहत दस्तावेज़ों को तैयार करने के लिए सामान्य पोर्टल पर अपलोड किए गए विवरण;

(ग) ऐसे अन्य विवरण जो निर्धारित किए जा सकते हैं।

(2) उप–धारा (1) के तहत विवरण साझा करने के प्रयोजनार्थ निम्न की सहमति प्राप्त की जाएगी, –

(क) आपूर्तिकर्ता, उप–धारा (1) के खंड (क), (ख) और (ग) के तहत प्रस्तुत विवरण के संबंध में;तथा

(ख) प्राप्तकर्ता, उपधारा (1) के खंड (ख) और उपधारा (1) के खंड (ग) के अन्तर्गत प्रस्तुतविवरणों के संबंध में, केवल जहां ऐसे विवरण में प्राप्तकर्ता की पहचान संबंधी जानकारी शामिल है,

ऐसे रूप और तरीके से जो निर्धारित किया जा सकता है।

(3) फिलहाल लागू किसी भी कानून में निहित किसी भी बात के बावजूद, इस धारा के तहत साझा की गई जानकारी के परिणामस्वरूप उत्पन्न होने वाले किसी भी दायित्व के संबंध में सरकार या सामान्य पोर्टल के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी और प्रासंगिक आपूर्ति पर या प्रासंगिक रिटर्न के अनुसार कर के भुगतान के लिये दायित्व पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।"

24. अनुसूची–III का संशोधन

(1) दिल्ली माल एवं सेवा कर अधिनियम की अनुसूची III में, अनुच्छेद 7 और 8 तथा उसके स्पष्टीकरण 2 (जैसा कि 2019 के अधिनियम 1 की धारा 31 द्वारा सन्निविष्ट किया गया है) को 01 जुलाई, 2017 से इसमें सन्निविष्ट किया हुआ समझा जायेगा।

(2) एकत्रित सभी कर वापिस नहीं किये जाएंगे, लेकिन वे सभी भौतिक समय पर लागू उपधारा (1) के अन्तर्गत एकत्रित न किये गये हों।

उद्देश्यों और कारणों का विवरण

1. दिल्ली माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 (अधिनियम) को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार द्वारा मालों या सेवाओं या दोनों की राज्यान्तरिक आपूर्ति पर कर लगाने और संग्रह करने का प्रावधान करने के उद्देश्य से अधिनियमित किया गया था।

2. जीएसटी परिषद ने दिनांक 28 और 29 जून, 2022 की अपनी 47 वीं बैठक, दिनांक 17 दिसंबर, 2022 की 48 वीं बैठक और दिनांक 18 फरवरी 2023 की 49 वीं बैठक में केंद्रीय माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017के प्रावधानों में विभिन्न संशोधन करने की सिफारिश की। इन्हें वित्त विधेयक, 2023 में शामिल किया गया था। वित्त अधिनियम, 2023 (2023 की संख्या 08) की राजपत्र अधिसूचना की प्रति अनुलग्नक–I के रूप में संलग्न है। वित्त अधिनियम, 2023 के माध्यम से केंद्र सरकार ने जीएसटी परिषद की दिनांक 28 और 29 जून, 2022 की 47वीं बैठक, दिनांक 17 दिसम्बर, 2022 की 48वीं बैठक तथा 18 फरवरी 2023 की 49 वीं बैठक में की गई सिफारिशों के आधार पर केंद्रीय माल एवं सेवा कर, 2017 के प्रावधानों में संशोधन गया है । सीजीएसटी अधिनियम, 2017 और दिल्ली माल एवं सेवा कर, अधिनियम, 2017 (2017 का 3) के बीच एकरूपता सुनिश्चित करने के लिए, दिल्ली माल एवं सेवा कर (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2023 को जहां भी आवश्यक हो, राज्य विशिष्ट आशोधन करने के बाद राज्य विधानमंडल द्वारा अधिनियमित किया जाना आवश्यक है।

3. प्रस्तावित दिल्ली माल एवं सेवा (द्वितीय संशोधन) कर विधेयक, 2023 की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं:

i. दिल्ली माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 10 में उप–धारा (2) के खंड (घ) और उक्त धारा की उप–धारा (2ए) के खंड (ग) में शब्द "माल या" के संदर्भ को हटाकर संशोधन करना ताकि इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटरों के माध्यम से माल की आपूर्ति में लगे पंजीकृत व्यक्तियों पर कंपोजीशन लेवी के तहत कर का भुगतान करने का विकल्प चुनने पर लगाए गए प्रतिबंध को हटाया जा सके। इस संशोधन के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटरों (ईसीओएस) के माध्यम से माल की आपूर्ति में लगे पंजीकृत व्यक्ति उक्त अधिनियम की धारा 10 के तहत कंपोजीशन लेवी के लिए पात्र होंगे।

ii. उक्त अधिनियम में उपलब्ध कराई गई रिटर्न फाइलिंग प्रणाली के साथ संरेखित करने के लिये उक्त धारा की उप–धारा (2) के द्वितीय परन्तुक में धारा 50 के अनुसार ब्याज देयता के साथ कर का भुगतान प्रदान करने के लिए दिल्ली माल एवं सेवा कर, 2017 की धारा 16 में संशोधन करना। इसके अतिरिक्त, इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ उठाने के लिए आपूर्ति के संबंध में आपूर्तिकर्ता को प्रतिफल के भुगतान की शर्त प्रदान करने के लिए उक्त धारा की उप–धारा (2) के तृतीय परन्तुक में संशोधन करना।

iii. छूट प्राप्त आपूर्ति के मूल्य में ऐसे लेन–देन के मूल्य को शामिल करते हुए उक्त अधिनियम की तृतीय अनुसूची के अनुच्छेद 8 के खंड (क) के संबंध में यथानिर्धारित की गई गतिविधियों या लेन–देन के कारण छूट वाली आपूर्ति पर इनपुट टैक्स क्रेडिट में फेरबदल करने के लिए स्पष्टीकरण प्रदान करने हेतु दिल्ली माल एवं सेवा कर अधिनियम की धारा 17 में संशोधन करना। इसके अतिरिक्त उक्त धारा की उपधारा (5) में खंड (च) को सन्निविष्ट करते हुए यह प्रदान करने का प्रयोजन रखता है कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 में विनिर्दिष्ट कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी के अन्तर्गत पंजीकृत व्यक्ति के दायित्वों से संबंधित गतिविधियों के लिए उपयोग किये जाने अथवा उपयोग करने की वांछा रखने वाले किसी कर योग्य व्यक्ति द्वारा प्राप्त मालों या सेवाओं या दोनों के संबंध में इनपुट टैक्स क्रेडिट उपलब्ध नहीं होगा।

iv. उक्त अधिनियम, जो 01 जुलाई, 2017 से प्रभावी है,उक्त अधिनियम की धारा 22 की उपधारा (1) और धारा 24 पर उक्त अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकरण से छूट से संबंधित उक्त धारा की उपधारा (2) को अधिभावी प्रभाव प्रदान करने के लिए दिल्ली माल एवं सेवा कर अधिनियम की धारा 23 में संशोधन करना ।

v. पंजीकरण रद्द के निरसन हेतु समय सीमा, शर्तें और प्रतिबंध निर्धारित करने के लिए संबंधित प्राधिकारी को सशक्त बनाने के लिए दिल्ली माल एवं सेवा कर अधिनियम की धारा 30 में संशोधन करना।

vi. उक्त धारा में नई उपधारा (5) को सन्निविष्ट करते हुए दिल्ली माल एवं सेवा कर अधिनियम की धारा 37 में संशोधन करना ताकि तीन साल की वह समय सीमा प्रदान की जा सके, जिसमें किसी पंजीकृत व्यक्ति द्वारा कर अवधि के लिए उक्त धारा की उप–धारा (1) के अन्तर्गत बाहरी आपूर्ति के विवरणों को प्रस्तुत किया जा सकता है। इसमें जीएसटी परिषद की सिफारिश पर सरकार को अधिसूचना मेंविस्तार करके किसी पंजीकृत व्यक्ति या पंजीकृत व्यक्तियों के एक वर्ग के लिए उक्त समय सीमा में कुछ शर्तों और प्रतिबंधों के अधीन सशक्त बनाने का भी प्रयोजन रखते हैं।

vii. उक्त धारा में नई उपधारा (11) को सन्निविष्ट करते हुए दिल्ली माल एवं सेवा कर अधिनियम की धारा 39 में संशोधन करना ताकि तीन साल की वह समय सीमा प्रदान की जा सके, जिसमें किसी पंजीकृत व्यक्ति द्वारा कर अवधि के लिए रिटर्न को प्रस्तुत किया जा सकता है। इसमें जीएसटी परिषद की सिफारिश पर सरकार को अधिसूचना मेंविस्तार करकेकिसी पंजीकृत व्यक्ति या पंजीकृत व्यक्तियों के एक वर्ग के लिए उक्त समय सीमा में कुछ शर्तों और प्रतिबंधों के अधीन सशक्त बनाने का भी प्रयोजन रखते हैं।

viii. उक्त धारा में एक नई उपधारा (2) को सन्निविष्ट करते हुए दिल्ली माल एवं सेवा कर अधिनियम की धारा 44 संशोधन करना ताकि तीन वर्ष की वह समय सीमा प्रदान की जा सके, जिसमें किसी पंजीकृत व्यक्ति द्वारा वित्तीय वर्ष के लिए उक्त धारा की उप–धारा (1) के अन्तर्गत वार्षिक रिटर्न को प्रस्तुत किया जा सकता है। इसमें जीएसटी परिषद की सिफारिश पर सरकार को अधिसूचना में विस्तार करके किसी पंजीकृत व्यक्ति या पंजीकृत व्यक्तियों के एक वर्ग के लिए उक्त समय सीमा में कुछ शर्तों और प्रतिबंधों के अधीन सशक्त बनाने का भी प्रयोजन रखते हैं।

ix. उक्त धारा में एक नई उपधारा (15) को सन्निविष्ट करते हुए दिल्ली माल एवं सेवा कर अधिनियम की धारा 52 में संशोधन करना ताकि तीन वर्ष की वह समय सीमा प्रदान की जा सके, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर द्वारा एक माह के लिए उक्त धारा की उप–धारा (4) के अंतर्गत विवरण को प्रस्तुत किया जा सकता है। इसमें जीएसटी परिषद की सिफारिश पर सरकार को अधिसूचना में विस्तार करके किसी ऑपरेटर या ऑपरेटरों के एक वर्ग के लिए उक्त समय सीमा में कुछ शर्तों और प्रतिबंधों के अधीन सशक्त बनाने का भी प्रयोजन रखते हैं।

x. उक्त धारा की उपधारा (6) में अनंतिम रूप से स्वीकृत इनपुट टैक्स क्रेडिट के संदर्भ को हटाकर दिल्ली माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 54 में संशोधन करना ताकि इसे उक्त अधिनियम की धारा 41 की उपधारा (1) के अनुसार स्व–आंकलित इनपुट टैक्स क्रेडिट की प्राप्ति की वर्तमान योजना के साथ संरेखित किया जा सके।

xi. दिल्ली माल एवं सेवा कर अधिनियम की धारा 56 में संशोधन करना ताकि विलंबित रिफंड पर ब्याज की गणना हेतु हुई देरी की अवधि के अभिकलन की रीति के लिए नियम निर्धारित करने की अनुमति मिल सके।

xii पंजीकृत व्यक्ति को उक्त अधिनियम की धारा 46 के निबंधनों में रिटर्न दाखिल करने हेतु साठ दिनों की अवधि प्रदान करने के लिये दिल्ली माल एवं सेवा कर अधिनियम की धारा 62 में संशोधन करना। इसके अतिरिक्त, उक्त अधिनियम में एक परंतुक सम्मिलित करना ताकि अतिरिक्त विलंब शुल्क के भुगतान के अधीन साठ दिनों की अतिरिक्त अवधि की अनुमति मिल सके।

xiii. दिल्ली माल एवं सेवा कर अधिनियम की धारा 109 को प्रतिस्थापित करने के लिए, इस अध्याय के प्रावधानों के अधीन, केंद्रीय माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 के अंतर्गत गठित माल एवं सेवा कर अधिकरण इस अधिनियम के तहत अपीलीय प्राधिकारी या पुनरीक्षण प्राधिकारी द्वारा पारित आदेशों के खिलाफ अपील की सुनवाई के लिए अपीलीय अधिकरण होगा।

xiv. अपीलीय अधिकरण के गठन से संबंधित दिल्ली माल एवं सेवा कर अधिनियम की धारा 110 का विलोप करना।

xv. राज्य अध्यक्ष की वित्तीय और प्रशासनिक शक्तियों से संबंधित दिल्ली माल एवं सेवा कर अधिनियम की धारा 114 का विलोप करना।

xvi. राज्य न्यायपीठ या क्षेत्र न्यायपीठों शब्द को राज्य न्यायपीठ शब्द से प्रतिस्थापित करने के लिए दिल्ली माल एवं सेवा कर अधिनियम की धारा 117 में संशोधन करना। उक्त धारा विवाद समाधान के लिए इस संबंध में गठित राज्य न्यायपीठों द्वारा पारित आदेशों से व्यथित व्यक्तियों द्वारा उच्च न्यायालयों में अपील दायर करने का प्रावधान करती है।

xvii. राष्ट्रीय न्यायपीठ या क्षेत्रीय न्यायपीठों शब्द को प्रधान न्यायपीठ शब्द से प्रतिस्थापित करने के लिए दिल्ली माल एवं सेवा कर अधिनियम की धारा 118 में संशोधन करना। उक्त धारा विवाद समाधान के लिए इस संबंध में गठित प्रधान न्यायपीठ द्वारा पारित आदेशों से व्यथित व्यक्तियों द्वारा सर्वोच्च न्यायालय में अपील दायर करने का प्रावधान करती है।

xviii. दिल्ली माल एवं सेवा कर अधिनियम की धारा 119 में शब्दों" राष्ट्रीय या क्षेत्रीय न्यायपीठों" को "प्रधान न्यायपीठ" से और "राज्य न्यायपीठ या क्षेत्र न्यायपीठ" को "राज्य न्यायपीठ" से प्रतिस्थापित करके संशोधन करना।

xix. उक्त धारा में एक नई उपधारा (1बी) को सन्निविष्ट करते हुए अपंजीकृत व्यक्तियों या कम्पोजिशन करदाताओं द्वारा उनके माध्यम से की गई मालों या सेवाओं की आपूर्ति से संबंधित प्रावधानों के उल्लंघन के मामले में इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटरों (ईसीओ) पर लागू दंडात्मक प्रावधान प्रदान करने के लिए दिल्ली माल एवं सेवा कर अधिनियम की धारा 122 में संशोधन करना।

xx. दिल्ली माल एवं सेवा कर अधिनियम की धारा 132 की उपधारा (1) में संशोधन करना ताकि उक्त धारा से उक्त खंडों के विलोपन द्वारा उक्त उपधारा के खंड (छ), (ञ) और (ट) में विनिर्दिष्ट अपराधों को अपराध से मुक्त किया जा सके । इसके अलावा, माल या सेवाओं या दोनों की आपूर्ति के बिना इन्वाइस जारी करने से संबंधित अपराधों को छोड़कर, उक्त अधिनियम के तहत अपराधों के लिए अभियोजन शुरू करने के लिए मौद्रिक सीमा एक लाख रुपये से बढ़ाकर दो सौ लाख रुपये तक करना।

xxi. दिल्ली माल एवं सेवा कर अधिनियम की धारा 138 की उप–धारा (1) के प्रथम परन्तुक में संशोधन करना ताकि उक्त अधिनियम के अन्तर्गत अपराधों की कंपाउंडिंग के विकल्प से मालों या सेवाओं या दोनों की आपूर्ति के बिना इन्वाइसिस् जारी करने से संबंधित अपराधों में शामिल व्यक्तियों को बाहर रखा जा सके। विभिन्न अपराधों के शमन के लिए न्यूनतम और साथ ही अधिकतम राशि को कम करके राशि को तर्कसंगत बनाने के लिए उक्त धारा की उप–धारा (2) में और संशोधन करना।

xxii. दिल्ली माल एवं सेवा कर अधिनियम में एक नई धारा 158ए सन्निविष्ट करना ताकि पंजीकरण के लिए आवेदन में या दाखिल रिटर्न में या प्रस्तुत बाहरी आपूर्ति के विवरण में पंजीकृत व्यक्ति द्वारा दी गई जानकारी को साझा करने के तरीके और शर्तें अथवा इलेक्ट्रॉनिक इन्वॉइस या ई–वे बिल या किसी अन्य विवरण के निर्माण के लिए उसके द्वारा अपलोड किए गए ब्यौरे, जो नियमों द्वारा प्रदान किए जा सकते हैं, ऐसे अन्य सिस्टम के साथ सामान्य पोर्टल पर, जैसा कि अधिसूचित किया जा सकता है,प्रदान की जा सकें।

xxiii. 01 जुलाई, 2017 से प्रभावी, उक्त अनुसूची (जैसा कि 2019 के अधिनियम 1 की धारा 31 द्वारा सन्निविष्ट है) के अनुच्छेद 7 तथा 8 और स्पष्टीकरण 2 को पूर्वव्यापी प्रयोज्यता देने के लिए दिल्ली माल एवं सेवा कर अधिनियम की अनुसूची–III में संशोधन करना।

4. यह विधेयक उपरोक्त उद्देश्यों को प्राप्त करने का प्रयोजन रखता है।

आतिशी मार्लेना,

वित्त मंत्री

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार

वित्तीय ज्ञापन

प्रस्तावित दिल्ली माल एवं सेवा कर (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2023 में दिल्ली की समेकित निधि से कोई आवर्ती या गैर–आवर्ती व्यय शामिल नहीं है।

आतिशी मार्लेना,

वित्त मंत्री

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार

प्रत्यायोजित विधान के संबंध में ज्ञापन

प्रस्तावित दिल्ली माल एवं सेवा अधिनियम (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2023 अधीनस्थ कानून बनाने के लिए किसी भी पदाधिकारी के पक्ष में शक्ति के प्रत्यायोजन हेतु प्रावधान नहीं करता है।

आतिशी मार्लेना,

वित्त मंत्री

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार

खण्डों पर टिप्पणियाँ [डीजीएसटी (द्वितीय संशाधन) विधेयक, 2023 हेतु]

1. विधेयक का खंड 1 संक्षिप्त शीर्षक और प्रारंभ का प्रावधान करता है।

2. विधेयक का खंड 2 दिल्ली माल एवं सेवा कर अधिनियम की धारा 10 में उप–धारा (2) के खंड (घ) और उप–धारा (2ए) के खंड (ग) में संशोधन करने का प्रयोजन रखता हैताकि इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटरों के माध्यम से माल की आपूर्ति में लगे पंजीकृत व्यक्तियों को कंपोजीशन लेवी के अन्तर्गत कर का भुगतान करने का विकल्प चुनने से लगाए गए प्रतिबंध को हटाया जा सके।

3. विधेयक का खंड 3 उक्त अधिनियम में प्रदान की गई रिटर्न फाइलिंग प्रणाली के साथ उक्त उपधारा संरेखित करने के लिये दिल्ली माल एवं सेवा कर अधिनियम की धारा 16 की उप–धारा (2) के दूसरे और तीसरे परन्तुकों में संशोधन करने का प्रयोजन रखता है।

4. विधेयक का खंड 4 दिल्ली माल एवं सेवा कर अधिनियम की धारा 17 की उप–धारा (3) के स्पष्टीकरण में संशोधन करने का प्रयोजन रखता है ताकि उक्त अधिनियम, छूट प्राप्त आपूर्ति के मूल्य में ऐसे लेनदेन के मूल्य को शामिल करते हुए, जैसा कि नियमों द्वारा प्रदान किया जा सकता है,की अनुसूची–III के अनुच्छेद 8 के खंड (क) में विनिर्दिष्ट कुछ लेन–देन के संबंध में इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ प्रतिबंधित किया जा सके।

   यह उप–धारा (5) में भी संशोधन करने का प्रयोजन रखता है ताकि यह प्रदान किया जा सके कि किसी कर योग्य व्यक्ति द्वारा प्राप्त मालों या सेवाओं या दोनों के संबंध में इनपुट टैक्स क्रेडिट उपलब्ध नहीं होगा, जिसका उपयोग कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 में विनिर्दिष्ट कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी के अन्तर्गतउसके दायित्वों से संबंधित गतिविधियों के लिए किया जाता है या किये जाने की वांछा रखता है।

5. विधेयक का खंड 5, 1 जुलाई, 2017 से प्रभावी, पंजीकरण के लिए उत्तरदायी नहीं होने वाले व्यक्तियों से संबंधित दिल्ली माल एवं सेवा कर अधिनियम की धारा 23 को प्रतिस्थापित करने का प्रयोजन रखता है, ताकि उक्त अधिनियम की धारा 22 की उपाधारा (1) और धारा 24 के ऊपर उक्त धारा को अधिभावी प्रभाव प्रदान किया जा सके।

6. विधेयक का खंड 6 पंजीकरण रद्द के निरसन हेतु, समय–सीमा, शर्तें और प्रतिबंधों को निर्धारित करने के लिए संबंधित प्राधिकारी को सशक्त बनाने के लिए धारा 30 में संशोधन करने का प्रयोजन रखता है।

7. विधेयक का खंड 7 दिल्ली माल एवं सेवा कर अधिनियम की धारा 37 में एक नई उप–धारा (5) को सन्निविष्ट करने का प्रयोजन रखता है ताकि तीन साल की वह समय सीमा प्रदान की जा सके, जिसमें किसी पंजीकृत व्यक्ति द्वारा कर अवधि के लिए उक्त धारा की उप–धारा (1) के अन्तर्गत बाहरी आपूर्ति के विवरणों को प्रस्तुत किया जा सकता है। इसमें परिषद की सिफारिश पर सरकार को अधिसूचना में विस्तार करके किसी पंजीकृत व्यक्ति या पंजीकृत व्यक्तियों के एक वर्ग के लिए उक्त समय सीमा में कुछ शर्तों और प्रतिबंधों के अधीन सशक्त बनाने का भी प्रयोजन रखते हैं।

8. विधेयक का खंड 8 दिल्ली माल एवं सेवा कर अधिनियम की धारा 39 में एक नई उप–धारा (11) सन्निविष्ट करने का प्रयोजन रखता है ताकि तीन साल की वह समय सीमा प्रदान की जा सके, जिसमें किसी पंजीकृत व्यक्ति द्वारा कर अवधि के लिए रिटर्न को प्रस्तुत किया जा सकता है। इसमें परिषद की सिफारिश पर सरकार को अधिसूचना में विस्तार करके किसी पंजीकृत व्यक्ति या पंजीकृत व्यक्तियों के एक वर्ग के लिए उक्त समय सीमा में कुछ शर्तों और प्रतिबंधों के अधीन सशक्त बनाने का भी प्रयोजन रखते हैं।

9. विधेयक का खंड 9 दिल्ली माल एवं सेवा कर अधिनियम की धारा 44 में एक नई उप–धारा (2) सन्निविष्ट करने का प्रयोजन रखता है ताकि तीन साल की वह समय सीमा प्रदान की जा सके, जिसमें किसी पंजीकृत व्यक्ति द्वारा वित्तीय वर्ष के लिए उक्त धारा की उप–धारा (1) के अन्तर्गत वार्षिक रिटर्न को प्रस्तुत किया जा सकता है। इसमें परिषद की सिफारिश पर सरकार को अधिसूचना में विस्तार करके किसी पंजीकृत व्यक्ति या पंजीकृत व्यक्तियों के एक वर्ग के लिए उक्त समय सीमा में कुछ शर्तों और प्रतिबंधों के अधीन सशक्त बनाने का भी प्रयोजन रखते हैं।

10. विधेयक का खंड 10 दिल्ली माल एवं सेवा कर अधिनियम की धारा 52 में एक नई उप–धारा (15) सन्निविष्ट करने का प्रयोजन रखता है ताकि तीन साल की वह समय सीमा प्रदान की जा सके, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर द्वारा एक माह के लिए उक्त धारा की उप–धारा (4) के अंतर्गत विवरण को प्रस्तुत किया जा सकता है। इसमें परिषद की सिफारिश पर सरकार को अधिसूचना में विस्तार करके किसी ऑपरेटरया ऑपरेटरों के एक वर्ग के लिए उक्त समय सीमा में कुछ शर्तों और प्रतिबंधों के अधीन सशक्त बनाने का भी प्रयोजन रखते हैं।

11. विधेयक का खंड 11 अनंतिम रूप से स्वीकृत इनपुट टैक्स क्रेडिट के संदर्भ को हटाकर दिल्ली माल एवं सेवा कर अधिनियम की धारा 54 की उप–धारा (6) में संशोधन करने का प्रयोजन रखता है ताकि इसे उक्त अधिनियम की धारा 41 की उपधारा (1) के अनुसार स्व–आंकलित इनपुट टैक्स क्रेडिट की प्राप्ति की वर्तमान योजना के साथ संरेखित किया जा सके।

12. विधेयक का खंड 12 दिल्ली माल एवं सेवा कर अधिनियम की धारा 56 में संशोधन करने का प्रयोजन रख है ताकि विलंबित रिफंड पर ब्याज की गणना हेतु हुई देरी की अवधि के अभिकलन की रीति के लिए नियम प्रदान कर सके।

13. विधेयक का खंड 13 रिटर्न दाखिल करने के लिए 'साठ दिन' शब्द के स्थान पर 'तीस दिन' शब्द के प्रतिस्थापन के लिए दिल्ली माल एवं सेवा कर अधिनियम की धारा 62 में संशोधन करने का प्रयोजन रखता है। इसके अलावा, यह

अतिरिक्त विलंब शुल्क के भुगतान के अधीन साठ दिनों की अतिरिक्त अवधि की अनुमति देने के लिए धारा 62 में एक परंतुक को सन्निविष्ट करता है।

14. विधेयक का खंड 14 इस अध्याय के प्रावधानों के अधीन, दिल्ली माल एवं सेवा कर अधिनियम की धारा 109 में यह प्रयोजन रखता है कि केंद्रीय माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 के अंतर्गत गठित माल एवं सेवा कर अधिकरण इस अधिनियम के तहत अपीलीय प्राधिकारी या पुनरीक्षण प्राधिकारी द्वारा पारित आदेशों के खिलाफ अपील की सुनवाई के लिए अपीलीय अधिकरण होगा।

15. विधेयक का खंड 15 अपीलीय न्यायाधिकरण के गठन से संबंधित दिल्ली माल एवं सेवा कर अधिनियम की धारा 110 का विलोप करने का प्रयोजन रखता है।

16. विधेयक का खंड 16 राज्य अध्यक्ष की वित्तीय और प्रशासनिक शक्तियों से संबंधित दिल्ली माल एवं सेवा कर अधिनियम की धारा 114 का विलोप करने का प्रयोजन रखता है।

17. विधेयक का खंड 17 दिल्ली माल एवं सेवा कर अधिनियम की धारा 117 में "राज्य न्यायपीठ या क्षेत्र न्यायपीठों" शब्दों को "राज्य न्यायपीठ" शब्दों के साथ प्रतिस्थापित करके संशोधन करने का प्रयोजन रखता है।

18. विधेयक का खंड 18 "प्रधान न्यायपीठ" के साथ "राष्ट्रीय न्यायपीठ या क्षेत्रीय न्यायपीठ" शब्दों को प्रतिस्थापित करके दिल्ली माल एवं सेवा कर अधिनियम की धारा 118 में संशोधन करने का प्रयोजन रखता है।

19. विधेयक का खंड 19 दिल्ली माल एवं सेवा कर अधिनियम की धारा 119 में "राष्ट्रीय या क्षेत्रीय न्यायपीठों" शब्दों को "प्रधान न्यायपीठ" के साथ और "राज्य न्यायपीठ या क्षेत्र न्यायपीठों" को "राज्य न्यायपीठ" के साथ प्रतिस्थापित करके संशोधित करने का प्रयोजन रखता है।

20. विधेयक का खंड 20 दिल्ली माल एवं सेवा कर अधिनियम की धारा 122 में एक नई उप–धारा (1बी) सन्निविष्ट करने का प्रयोजन रखता है ताकि अपंजीकृत व्यक्तियों या संरचना करदाताओं द्वारा उनके माध्यम से बनाई गई मालों या सेवाओं की आपूर्ति से संबंधित प्रावधानों के उल्लंघन के मामले में इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटरों पर लागू दंडात्मक उपबधों का प्रावधान किया जा सके।

21. विधेयक का खंड 21 दिल्ली माल एवं सेवा कर अधिनियम की धारा 132 की उप–धारा (1) में संशोधन करने का प्रयोजन रखता है। ताकि उक्त उपधारा के खंड (छ), (ञ) और (ट) में विनिर्दिष्ट अपराधों को अपराध से मुक्त किया जा सके तथाउक्त अधिनियम के तहत अपराधों के लिए अभियोजन शुरू करने के लिए मौद्रिक सीमा को एक सौ लाख रुपये से दो सौ लाख रुपये तक बढ़ाया जा सके। इसमें माल या सेवाओं या दोनों की आपूर्ति के बिना इन्वाइसिसजारी करने से संबंधित अपराध शामिल नहीं है।

22. विधेयक का खंड 22 दिल्ली माल एवं सेवा कर अधिनियम की धारा 138 की उप–धारा (1) के पहले परन्तु में संशोधन करना ताकि उक्त अधिनियम के अन्तर्गत अपराधों की कंपाउंडिंग के विकल्प से मालों या सेवाओं या दोनों की आपूर्ति के बिना इन्वाइसिस् जारी करने से संबंधित अपराधों में शामिल व्यक्तियों को बाहर रखा जा सके।

यह विभिन्न अपराधों के शमन के लिए न्यूनतम और साथ ही अधिकतम राशि को कम करके राशि को तर्कसंगत बनाने के लिए उप–धारा (2) में और संशोधन करने का प्रयोजन रखता है।

23. विधेयक का खंड 23 दिल्ली माल एवं सेवा कर अधिनियम में एक नई धारा 158ए सन्निविष्ट करने का प्रयोजन रखता है ताकि पंजीकरण के लिए अपने आवेदन में या दाखिल रिटर्न में या प्रस्तुत बाहरी आपूर्ति के विवरण में पंजीकृत व्यक्ति द्वारा दी गई जानकारी को साझा करने के तरीके और शर्तें अथवा इलेक्ट्रॉनिक इन्वॉइस या ई–वे बिल या किसी अन्य विवरण के निर्माण के लिए उसके द्वारा अपलोड किए गए ब्यौरे, जो नियमों द्वारा प्रदान किए जा सकते हैं, ऐसे अन्य सिस्टम के साथ सामान्य पोर्टल पर, जैसा कि अधिसूचित किया जा सकता है, प्रदान की जा सके।

24. विधेयक का खंड 24,01 जुलाई, 2017 से प्रभावी, उक्त अनुसूची (जैसा कि 2019 के अधिनियम 1 की धारा 31 द्वारा सन्निविष्ट है) के अनुच्छेद 7 तथा 8 और स्पष्टीकरण 2 को पूर्वव्यापी प्रयोज्यता देने के लिए दिल्ली माल एवं सेवा कर अधिनियम की अनुसूची–III में संशोधन करने का प्रयोजन रखता है।

आतिशी मार्लेना,

वित्त मंत्री

राज कुमार, सचिव

DELHI LEGISLATIVE ASSEMBLY

NOTIFICATION

Delhi, the 15th December, 2023

F. No.21/24/DGST (2nd A)/2023/LAS-VII/Leg.6707.—The following is published for general information.—

THE DELHI GOODS AND SERVICES TAX (SECOND AMENDMENT) BILL, 2023

[BILL NO. 05 OF 2023]

(As introduced in the Legislative Assembly of the National Capital Territory of Delhi on 15 December, 2023)

(AS INTRODUCED IN VIDHAN SABHA)

THE DELHI GOODS AND SERVICES TAX (SECOND AMENDMENT) BILL, 2023

A

BILL

Further to amend the Delhi Goods and Services Tax Act 2017(3 of 2017)

BE it enacted by the Legislative Assembly of the National Capital Territory of Delhi in the Seventy-Fourth Year of the Republic of India as follows:-

1. **Short title and commencement**:- (i) This Act may be called the Delhi Goods and Services (Second Amendment) Act, 2023.

(ii) Section 2 to24 of the Act shall come into force on such date as the State Government may, by notification, in the Official Gazette, appoint and the different date may be appointed for different provisions of this Act.

2. **Amendment of section 10**:- In the Delhi Goods and Services Tax Act, 2017(here in after referred to as Delhi Goods and Services Tax Act), in section 10, —

(a) in sub-section(2), in clause(d), the words"goods or" shall be omitted;

(b) in sub-section(*2A*), in clause(*c*), the words "goodsor" shall be omitted.

3. Amendment of section 16:-In the Delhi Goods and Services Tax Act, in Section 16 sub section (2), —

(i) in the second proviso, for the words "added to his output tax liability, along with interest thereon", the words and figures "paid by him along with interest payable under section 50" shall be substituted;

(ii) in the third proviso, after the words "made by him", the words "to the supplier" shall be inserted.

4. **Amendment of section 17**:-In the Delhi Goods and Services Tax Act,in Section 17, —

(a) in sub-section (3), in the *Explanation*, for the words and figure "except those specified in paragraph 5 of the said Schedule", the following shall be substituted, namely:—

"except,—

(i) the value of activities or transactions specified in paragraph 5 of the said Schedule; and

(ii) the value of such activities or transactions as may be prescribed in respect of

clause(a) of paragraph 8 of the said Schedule.";

(b) in sub-section (5), after clause (f), the following clause shall be inserted, namely:—

"(fa) goods or services or both received by a taxable person, which are used or intended to be used for activities relating to his obligations under corporate social responsibility referred to in section 135 of the Companies Act, 2013;".

5. **Amendment of section 23:-**In the Delhi Goods and Services Tax Act, in Section 23 for sub-section (2), the following sub-section shall be substituted and shall be deemed to have been substituted with effect from the 1st day of July, 2017, namely:—

"(2) Notwithstanding anything to the contrary contained in sub-section (1) of section 22 or section 24, the Government may, on the recommendations of the Council, by notification, subject to such conditions and restrictions as may be specified therein, specify the category of persons who may be exempted from obtaining registration under this Act."

6. Amendment of section 30:-In the Delhi Goods and Services Tax Act, in section 30 sub-section (1):-

(a) for the words "the prescribed manner within thirty days from the date of service of the cancellation order:", the words "such manner, within such time and subject to such conditions and restrictions, as may be prescribed." shall be substituted;

(b) the proviso shall be omitted.

7. Amendment of section 37:- In the Delhi Goods and Services Tax Act, in Section 37 after sub-section (4), the following sub-section shall be inserted, namely:—

"(5) A registered person shall not be allowed to furnish the details of outward supplies under sub-section (1) for a tax period after the expiry of a period of three years from the due date of furnishing the said details:

Provided that the Government may, on the recommendations of the Council, by notification, subject to such conditions and restrictions as may be specified therein, allow a registered person or a class of registered persons to furnish the details of outward supplies for a tax period under sub-section (1), even after the expiry of the said period of three years from the due date of furnishing the said details".

8. Amendment of section 39:- In the Delhi Goods and Services Tax Act, in Section 39 after sub-section (10), the following sub-section shall be inserted, namely:—

"(11) A registered person shall not be allowed to furnish a return for a tax period after the expiry of a period of three years from the due date of furnishing the said return:

Provided that the Government may, on the recommendations of the Council, by notification, subject to such conditions and restrictions as may be specified therein, allow a registered person or a class of registered persons to furnish the return for a tax period, even after the expiry of the said period of three years from the due date of furnishing the said return.".

9. Amendment of section 44:- In the Delhi Goods and Services Tax Act, in Section 44shall be renumbered as sub-section (1) thereof, and after sub-section (1) as so renumbered, the following sub-section shall be inserted, namely:—

"(2) A registered person shall not be allowed to furnish an annual return under sub-section (1) for a financial year after the expiry of a period of three years from the due date of furnishing the said annual return:

Provided that the Government may, on the recommendations of the Council, by notification, and subject to such conditions and restrictions as may be specified therein, allow a registered person or a class of registered persons to furnish an annual return for a financial year under sub-section (1), even after the expiry of the said period of three years from the due date of furnishing the said annual return.".

10. Amendment of section 52:-In the Delhi Goods and Services Tax Act, in Section 52 after sub-section (14), the following sub-section shall be inserted, namely:—

"(15) The operator shall not be allowed to furnish a statement under sub-section (4) after the expiry of a period of three years from the due date of furnishing the said statement:

Provided that the Government may, on the recommendations of the Council, by notification, subject to such conditions and restrictions as may be specified therein, allow an operator or a class of operators to furnish a statement under sub-section (4), even after the expiry of the said period of three years from the due date of furnishing the said statement".

11. Amendment of section 54:- In theDelhi Goods and Services Tax Act, in Section 54 in sub-section (6), the words "excluding the amount of input tax credit provisionally accepted," shall be omitted.

12. Amendment of section 56:- In the Delhi Goods and Services Tax Act, in Section 56, for the words "from the date immediately after the expiry of sixty days from the date of receipt of application under the said sub-section till the date of refund of such tax", the words "for the period of delay beyond sixty days from the date of receipt of such application till the date of refund of such tax, to be computed in such manner and subject to such conditions and restrictions as may be prescribed" shall be substituted.

13. Amendment of section 62:- In the Delhi Goods and Services Tax Act, in Section 62 in sub-section (2),—

(a) for the words "thirty days", the words "sixty days" shall be substituted;

(b) the following proviso shall be inserted, namely:—

"Provided that where the registered person fails to furnish a valid return within sixty days of the service of the assessment order under sub-section (1), he may furnish the same within a further period of sixty days on payment of an additional late fee of one hundred rupees for each day of delay beyond sixty days of the service of the said assessment order and in case he furnishes valid return within such extended period, the said assessment order shall

be deemed to have been withdrawn, but the liability to pay interest under sub-section (1) of section 50 or to pay late fee under section 47 shall continue".

14. Amendment of section 109:- In the Delhi Goods and Services Tax Act, in Section 109 for sub-section (1), the following sub-section shall be substituted:-

(1) Subject to the provisions of this Chapter, the Goods and Services Tax Tribunal constituted under the Central Goods and Services Tax Act, 2017 shall be the Appellate Tribunal for hearing appeals against the orders passed by the Appellate Authority or the Revisional Authority under this Act.

15. Amendment of section 110:- In the Delhi Goods and Services Tax Act, in Section 110to be deleted.

16. Amendment of section 114:- In the Delhi Goods and Services Tax Act, in Section 114 to be deleted.

17. Amendment of section 117:- In the Delhi Goods and Services Tax Act, in Section 117,–

(a) in sub-section (1), for the words "State Bench or Area Benches", the words "State Benches" shall be substituted;

(b) in sub-section (5), in clauses (a) and (b), for the words "State Bench or Area Benches", the words "State Benches" shall be substituted.

18. Amendment of section 118:- In the Delhi Goods and Services Tax Act, in Section 118, sub-section (1), in clause (a), –

"National Bench or Regional Benches" to be replaced with "Principal Bench"

19. Amendment of section 119:- In the Delhi Goods and Services Tax Act, in Section 119, –

"National or Regional Benches" to be replaced with "Principal Bench" and "State Bench or Area Benches" to be replaced with "State Benches".

20. Amendment of section 122:- In the Delhi Goods and Services Tax Act, in Section 122 after sub-section (1A), the following sub-section shall be inserted, namely:—

"(1B) Any electronic commerce operator who—

(i) allows a supply of goods or services or both through it by an unregistered person other than a person exempted from registration by a notification issued under this Act to make such supply;

(ii) allows an inter-State supply of goods or services or both through it by a person who is not eligible to make such inter-State supply; or

(iii) fails to furnish the correct details in the statement to be furnished under sub-section (4) of section 52 of any outward supply of goods effected through it by a person exempted from obtaining registration under this Act,

shall be liable to pay a penalty of ten thousand rupees, or an amount equivalent to the amount of tax involved had such supply been made by a registered person other than a person paying tax under section 10, whichever is higher".

21. Amendment of section 132:- In the Delhi Goods and Services Tax Act, in Section 132 in sub-section (1), —

(a) clauses (g), (j) and (k) shall be omitted;

(b) in clause (l), for the words, brackets and letters "clauses (a) to (k)", the words, brackets and letters "clauses (a) to (f) and clauses (h) and (i)" shall be substituted;

(c) in clause (iii), for the words "any other offence", the words, brackets and letter"an offence specified in clause (b)," shall be substituted;

(d) in clause (iv), the words, brackets and letters "or clause (g) or clause (j)" shall be omitted.

22. Amendment of section 138:- In the Delhi Goods and Services Tax Act, in Section 138, -

(a) in sub-section (1), in the first proviso,—

(i) for clause (a), the following clause shall be substituted, namely:—

"(a) a person who has been allowed to compound once in respect of any of the offences specified in clauses (a) to (f), (h), (i) and (l) of sub-section (1) of section 132;";

(ii) clause (b) shall be omitted;

(iii) for clause (c), the following clause shall be substituted, namely:—

"(c) a person who has been accused of committing an offence under clause (b) of sub-section (1) of section 132;";

(iv) clause (e) shall be omitted;

(b) in sub-section (2), for the words "ten thousand rupees or fifty per cent. of the tax involved, whichever is higher, and the maximum amount not being less than thirty thousand rupees or one hundred and fifty per cent. of the tax, whichever is higher", the words "twenty-five per cent. of the tax involved and the maximum amount not being more than one hundred per cent. of the tax involved" shall be substituted.

23. Amendment of section 158:- In the Delhi Goods and Services Tax Act, in Section 158 the following section shall be inserted, namely:—

"158A. (1) Notwithstanding anything contained in sections 133, 152 and 158, the following details furnished by a registered person may, subject to the provisions of sub-section (2), and on the recommendations of the Council, be shared by the common portal with such other systems as may be notified by the Government, in such manner and subject to such conditions as may be prescribed, namely:—

(a) particulars furnished in the application for registration under section 25 or in the return filed under section 39 or under section 44;

(b) the particulars uploaded on the common portal for preparation of invoice, the details of outward supplies furnished under section 37 and the particulars uploaded on the common portal for generation of documents under section 68;

(c) such other details as may be prescribed.

(2) For the purposes of sharing details under sub-section (1), the consent shall be obtained, of—

(a) the supplier, in respect of details furnished under clauses (a), (b) and(c) of sub-section (1); and

(b) the recipient, in respect of details furnished under clause (b) of sub-section (1), and under clause (c) of sub-section (1) only where such details include identity information of the recipient,

in such form and manner as may be prescribed.

(3) Notwithstanding anything contained in any law for the time being in force, no action shall lie against the Government or the common portal with respect to any liability arising consequent to information shared under this section and there shall be no impact on the liability to pay tax on the relevant supply or as per the relevant return."

24 Amendment of Schedule-III

(1) In Schedule III to the Delhi Goods and Services Tax Act, paragraphs 7 and 8 and the Explanation 2 thereof (as inserted vide section 31 of Act 1 of 2019) shall be deemed to have been inserted therein with effect from the 1st day of July, 2017.

(2) No refund shall be made of all the tax which has been collected, but which would not have been so collected, had sub-section (1) been in force at all material times.

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

1. The Delhi Goods and Services Tax Act, 2017 (the Act) was enacted with a view to make a provision for levy and collection of Tax on Intra-State supply of goods or services or both by the Government of National Capital Territory of Delhi.

2. The GST Council in its 47th meeting dated 28th & 29th June, 2022, 48th meeting dated 17th December, 2022 and 49th meeting dated 18th February 2023 recommended various amendments in the provisions of the Central Goods and Services Tax Act, 2017. The same were incorporated in the Finance Bill, 2023. The copy of the Gazette Notification of THE FINANCE ACT, 2023(NO.08 OF 2023) is annexed as Annexure-I. Through the Finance Act, 2023 Central Government has amended the provisions of the Central Goods and Service Tax, 2017 on the basis of the recommendations made in the GST council 47th meeting dated 28th & 29th June, 2022, 48th meeting dated 17th December, 2022 and 49th meeting dated 18th February 2023. In order to ensure uniformity between the CGST Act, 2017 and Delhi Goods and Services Tax, 2017 (3 of 2017), the Delhi Goods and Service Tax (Second Amendment) Act, 2023 is required to be enacted by the State Legislature after making State specific modifications, wherever necessary.

3. The salient features of the proposed Delhi Goods and Services (Second Amendment) Tax Bill, 2023 are stated as under:

i. To amend Section 10 of the Delhi Goods and Services Tax Act, 2017 by omitting the reference to the word “goods or” in clause (d)of sub-section (2) and clause (c) of sub-section (2A) of the said Section so as to remove the restriction imposed on registered persons engaged in supplying goods through electronic commerce operators from

opting to pay tax under the composition levy.Through this amendment the registered persons engaged in supply of goods through electronic commerce operators (ECOs) will be eligible for composition levy under Section 10 of the said Act.

ii. To amend section 16 of the Delhi Goods and Services Tax, 2017 to provide for payment of tax along with interest liability as per Section 50 in the second proviso of sub-section (2) of the said Section to align with the return filing system provided in the said Act. Further to amend third proviso of the sub-section (2) of said Section to provide for condition of payment of consideration to the supplier in relation to supply to avail input tax credit.

iii. To amend section 17 of the Delhi Goods and Services Tax Actto provide an explanation for reversal of input tax credit on exempt supplies made account of activities or transactions asmay be prescribed in respect of clause (a) of paragraph 8 of the Third Schedule of the said Act by including the value of such transactions in the value of exempt supply. Further, by way of insertion of clause (f) in subsection of (5) of the said Section seeks to provide that input tax credit shall not be available in respect of goods or services or both received by a taxable person which are used or intended to be used for activities relating to the obligations of registered person under corporate social responsibility referred to in section 135 of the Companies Act, 2013.

iv. To amend section 23 of the Delhi Goods and Services Tax Actto provide overriding effect to the subsection (2) of the said Section relating to exemptions from registration under the said Actv over sub-section (1) of section 22 and section 24 of the said Act with effect from the 1st day of July, 2017.

v. To amend section 30 of the Delhi Goods and Services Tax Act to empower the relevant authority to prescribe the time limits, conditions and restrictions for revocation of cancellation of registration.

vi. To amend section 37 of the Delhi Goods and Services Tax Act by inserting a new subsection (5) in the said section, so as to provide a time limit of three years upto which the details of outward supplies under sub-section (1) of the said Section for a tax period can be furnished by a registered person. It further seeks to empower the Government, on the recommendation of the GST Council, to extend by notification, the said time limit for a registered person or a class of registered persons, subject to certain conditions and restrictions.

vii. To amend section 39 of the Delhi Goods and Services Tax Act by insertion of a new subsection (11) in the said section, so as to provide a time limit of three years upto which the return for a tax period can be furnished by a registered person. It further seeks to empower the Government, on the recommendation of the GST Council, to extend by notification, the said time limit for a registered person or a class of registered persons, subject to certain conditions and restrictions.

viii. To amend section 44 of the Delhi Goods and Services Tax Act by insertion of a new subsection (2) in the said section, so as to provide a time limit of three years upto which the annual return under sub section(1) of the said section for a Financial Year can be furnished by a registered person. It further seeks to empower the Government, on the recommendation of the GST Council, to extend by notification, the said time limit for a registered person or a class of registered persons, subject to certain conditions and restrictions.

ix. To amend section 52 of the Delhi Goods and Services Tax Act by insertion of a new subsection (15) in the said section, so as to provide a time limit of three years upto which the statement under the sub section(4) of the said section for a month can be furnished by electronic commerce operator. It further seeks to empower the Government, on the recommendation of the GST Council, to extend by notification, the said time limit for an operator or a class of operators, subject to certain conditions and restrictions.

x. To amend section 54 of the Delhi Goods and Services Tax Act by removing reference to the provisionally accepted input tax credit in the subsection (6) of the said section so as to align the same with the present scheme of availment of self-assessed input tax credit as per sub-section (1) of section 41 of the said Act.

xi. To amend section 56 of the Delhi Goods and Services Tax Act so as to allow for prescribing of rules for the manner of computation of period of delay for calculation of interest on delayed refunds.

xii. To amend section 62 of the Delhi Goods and Services Tax Act to provide for a period of sixty days to the registered person to file return in terms of section 46 of the said Act. Further, to insert a proviso in said section to allow a further period of sixty days subject to payment of additional late fee.

xiii. To substitute Section 109 of the Delhi Goods and Services Tax Act, subject to the provisions of this Chapter, the Goods and Services Tax Tribunal constituted under the Central Goods and Services Tax Act, 2017 shall be the Appellate Tribunal for hearing appeals against the orders passed by the Appellate Authority or the Revisional Authority under this Act.

xiv. To omit Section 110 of the Delhi Goods and Services Tax Act relating to the constitution of the Appellate Tribunal.

xv. To omit Section 114 of the Delhi Goods and Services Tax Act relating to the Financial and administrative powers of State President.

xvi. To amend Section 117 of the Delhi Goods and Services Tax Act to substitute the word State Bench or Area Benches with the words State Benches. The said section provides for filing of appeal to High Courts by persons aggrieved by the orders passed by the State Benches constituted in this regard for dispute resolution.

xvii. To amend Section 118 of the Delhi Goods and Services Tax Act to substitute the word National Bench or Regional Benches with the words Principal Bench. The said section provides for filing of appeal to the Supreme Court by persons aggrieved by the orders passed by the Principal Bench constituted in this regard for dispute resolution.

xviii. To amend Section 119 of the Delhi Goods and Services Tax Act by substituting the words "National or Regional Benches" with "Principal Bench" and "State Bench or Area Benches" with "State Benches".

xix. To amend section 122 of the Delhi Goods and Services Tax Act to provide for penal provisions applicable to electronic commerce operators (ECOs) in case of contravention of provisions relating to supplies of goods or services made through them by unregistered persons or composition taxpayers, by way of insertion of a new sub-section (1B) in the said section.

xx. To amend sub-section (1) of Section 132 of the Delhi Goods and Services Tax Act so as to decriminalize offences specified in clauses (g), (j) and (k) of the said sub-section by omitting the said clauses from the said section. Further to increase the monetary threshold from one hundred lakh rupees to two hundred lakh rupees for launching prosecution for the offences under the said Act, except for the offences related to issuance of invoices without supply of goods or services or both.

xxi. To amend first proviso to sub-section (1) of Section 138 of the Delhi Goods and Services Tax Act so as to exclude the persons involved in offences relating to issuance of invoices without supply of goods or services or both from the option of compounding of the offences under the said Act. Further to amend sub-section (2) of the said section to rationalise the amount for compounding of various offences by reducing the minimum as well as maximum amount for compounding.

xxii. To insert a new section 158A in the Delhi Goods and Services Tax Act so as to provide for the manner and conditions for sharing of the information furnished by the registered person in the application for registration or in the return filed or in the statement of outward supplies furnished, or the details uploaded by him for generation of electronic invoice or E-way bill or any other details, as may be provided by rules, on the common portal with such other systems, as may be notified.

xxiii. To amend Schedule-III of the Delhi Goods and Services Tax Act to give retrospective applicability to paragraphs 7 and 8 and the Explanation 2 tothe said Schedule (as inserted vide section 31 of Act 1 of 2019) with effect from the 1st day of July, 2017.

4. The Bill seeks to achieve the above objectives.

ATISHI MARLENA,

Finance Minister

Government of NCT of Delhi

FINANCIAL MEMORANDUM

The proposed Delhi Goods and Services Tax (Second Amendment) Bill, 2023 does not involve any recurring or non-recurring expenditure from the Consolidated Fund of Delhi.

ATISHI MARLENA,

Finance Minister

Government of NCT of Delhi

MEMORANDUM REGARDING DELEGATED LEGISLATION

The proposed Delhi Goods and Services Act (Second Amendment) Bill, 2023 does not make provision for the delegation of power in favour of any functionaries to make subordinate legislation.

ATISHI MARLENA,

Finance Minister

Government of NCT of Delhi

NOTES ON CLAUSES

[For DGST (Second Amendment) Bill, 2023]

1. Clause 1 of the Bill provides for short title and commencement.

2. Clause 2 of the Bill seeks to amend clause (d) of sub-section (2) and clause (c) of sub-section (2A) in section 10 of the Delhi Goods and Services Tax Act so as to remove the restriction imposed on registered persons engaged in supplying goods through electronic commerce operators from opting to pay tax under the composition levy.

3. Clause 3 of the Bill seeks to amend second and third provisos to sub-section (2) of section 16 of the Delhi Goods and Services Tax Act to align the said sub-section with the return filing system provided in the said Act.

4. Clause 4 of the Bill seeks to amend Explanation to sub-section (3) of section 17 of the Delhi Goods and Services Tax Act so as to restrict availment of input tax credit in respect of certain transactions specified in clause (a) of paragraph 8 of Schedule III of the said Act, as may be provided by rules, by including the value of such transactions in the value of exempt supply.

   It also seeks to amend sub-section (5) so as to provide that input tax credit shall not be available in respect of goods or services or both received by a taxable person which are used or intended to be used for activities relating to his obligations under corporate social responsibility referred to in section 135 of the Companies Act, 2013.

5. Clause 5 of the Bill seeks to substitute, with effect from the 1st day of July, 2017,section 23 of the Delhi Goods and Services Tax Act relating to persons not liable forregistration so as to provide overriding effect to the said section over sub-section (1) ofsection 22 and section 24 of the said Act.

6. Clause 6 of the Bill seeks toamend section 30 to empower the relevant authority to prescribe the timelimits, conditionsand restrictions for revocation of cancellation of registration.

7. Clause 7 of the Bill seeks to insert a new sub-section (5) in section 37 of the Delhi Goods and Services Tax Act so as to provide a time limit of three years upto which the details of outward supplies under sub-section (1) of the said section for a tax period can be furnished by a registered person. It further seeks to empower the Government, on the recommendation of the Council, to extend by notification, the said time limit for a registered person or a class of registered persons, subject to certain conditions and restrictions.

8. Clause 8 of the Bill seeks to insert a new sub-section (11) in section 39 of the Delhi Goods and Services Tax Act so as to provide a time limit of three years upto which the return for a tax period can be furnished by a registered person. It further seeks to empowerthe Government, on the recommendation of the council, to extend by notification, the said time limit for a registered person or a class of registered persons, subject to certain conditions and restrictions.

9. Clause 9 of the Bill seeks to insert a new sub-section (2) in section 44 of the Delhi Goods and Services Tax Act so as to provide a time limit of three years upto which theannual return under sub-section (1) of the said section for a financial year can be furnished by a registered person. It further seeks to empower the Government, on the recommendation of the Council, to extend by notification, the said time limit for a registered person or a class of registered persons, subject to certain conditions and restrictions.

10. Clause 10 of the Bill seeks to insert a new sub-section (15) in section 52 of the Delhi Goods and Services Tax Act so as to provide a time limit of three years upto which thestatement under sub-section (4) of the said section for a month can be furnished by anelectronic commerce operator. It further seeks to empower the Government, on therecommendation of the Council, to extend by notification, the said time limit for an operator or a class of operators, subject to certain conditions and restrictions.

11. Clause 11 of the Bill seeks to amend sub-section (6) of section 54 of the Delhi Goods and Services Tax Act by removing reference to the provisionally accepted input tax credit so as to align the same with the present scheme of availment of self-assessed input tax credit as per sub-section (1) of section 41 of the said Act.

12. Clause 12 of the Bill seeks to amend section 56 of the Delhi Goods and Services Tax Act so as to provide by rules the manner of computation of period of delay for calculation of interest on delayed refunds.

13. Clause 13 of the Bill seeks toamend section 62 of the Delhi Goods and Services Tax Act for the substitution of the words ‘thirty days’ to the word ‘sixty days’ to file returns. Further, to insert a proviso in section 62 to allow a further period of sixty days subject to payment of additional late fee.

14. Clause 14 of the Bill seeks toSection 109 of the Delhi Goods and Services Tax Act,subject to the provisions of this Chapter, the Goods and Services Tax Tribunal constituted under the Central Goods and Services Tax Act,

2017 shall be the Appellate Tribunal for hearing appeals against the orders passed by the Appellate Authority or the Revisional Authority under this Act.

15. Clause 15 of the Bill seeks toomit Section 110 of the Delhi Goods and Services Tax Act relating to the constitution of the Appellate Tribunal.

16. Clause 16 of the Bill seeks toomit Section 114 of the Delhi Goods and Services Tax Act relating to the Financial and administrative powers of State President.

17. Clause 17 of the Bill seeks toamend Section 117 of the Delhi Goods and Services Tax Act by substituting the words "State Bench or Area Benches", with the words "State Benches".

18. Clause 18 of the Bill seeks toamend Section 118 of the Delhi Goods and Services Tax Act by substituting the words "National Bench or Regional Benches" with "Principal Bench".

19. Clause 19 of the Bill seeks toamendSection 119 of the Delhi Goods and Services Tax Act by substituting the words "National or Regional Benches" with "Principal Bench" and "State Bench or Area Benches" with "State Benches".

20. Clause 20 of the Bill seeks to insert a new sub-section (1B) in section 122 of the Delhi Goods and Services Tax Act so as to provide for penal provisions applicable to electronic commerce operators in case of contravention of provisions relating to supplies of goods or services made through them by unregistered persons or composition taxpayers.

21. Clause 21 of the Bill seeks to amend sub-section (1) of section 132 of the Delhi Goods and Services Tax Act so as to decriminalise offences specified in clauses (g), (j) and(k) of the said sub-section and to increase the monetary threshold from one hundred lakh rupees to two hundred lakh rupees for launching prosecution for the offences under the saidAct, except for the offences related to issuance of invoices without supply of goods or services or both.

22. Clause 22 of the Bill seeks to amend first proviso to sub-section (1) of section 138 of the Delhi Goods and Services Tax Act so as to exclude the persons involved in offences relating to issuance of invoices without supply of goods or services or both from the option of compounding of the offences under the said Act.

    It further seeks to amend sub-section (2) so as to rationalise the amount for compounding of various offences by reducing the minimum as well as maximum amountfor compounding.

23. Clause 23 of the Bill seeks to insert a new section 158A in the Delhi Goods and Services Tax Act so as to provide for the manner and conditions for sharing of the information furnished by the registered person in his application for registration or in his return filed or in his statement of outward supplies, or the details uploaded by him forgeneration of electronic invoice or E-way bill or any other details, as may be provided byrules, on the common portal with such other systems, as may be notified.

24. Clause 24 of the Bill seeks to amend Schedule-IIIof the Delhi Goods and Services Tax Act to give retrospective applicability to paragraphs 7 and 8 and the Explanation 2 tothe said Schedule (as inserted videsection 31 of Act 1 of 2019) with effect from the 1st day of July, 2017.

ATISHI MARLENA, Finance Minister

Government of NCT of Delhi

RAJ KUMAR, Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

MANOJ KUMAR VERMA